

माननीय उच्चन्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इन्दौर
मूल-क्षेत्राधिकार
कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एवं
मैसर्स हुकुमचंद मिल्स लि. (परिसमापन-में) के अंतर्गत
कंपनी पिटीशन क्रं. 19/2001

कंपनी के पूर्व कर्मचारियों से दस्तावेजी प्रमाण आमंत्रण हेतु सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, माननीय उच्चन्यायालय, म.प्र. खण्डपीठ, इंदौर ने अपने आदेश दिनांक 26/10/2017 सहपठित आदेश दिनांक 03/05/2017 के माध्यम से मैसर्स हुकुमचंद मिल्स लिमि. (परिसमापन-में) के उन पूर्व श्रमिकों को अंतरिम लाभांश (Dividend) वितरित करने हेतु शासकीय समापक को निर्देशित किया था, जिनके दावे पूर्व में अधिनिर्णित किये गये थे, और माननीय उच्चन्यायालय, म. प्र. खण्डपीठ इंदौर द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। अतः उन पूर्व पात्र श्रमिकों / मृत श्रमिकों के कानूनी उत्तराधिकारियों के बैंक खातों का विवरण तथा के. वाय. सी. विवरण शासकीय समापक, उच्चन्यायालय म. प्र. के कार्यालय, प्रथम तल, ओल्ड सी. आय. ए. भवन, जी.पी.ओ. चौराहा, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर में जमा करने पर, भुगतान योग्य राशि तुरंत (लाभान्वितों के खाते में सीधे अंतरण द्वारा) देय हैं। तथापि, यह विज्ञापन केवल उन पूर्व श्रमिकों / मृत श्रमिकों के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिये प्रकाशित किया जा रहा है जिन्होंने माननीय उच्चन्यायालय म.प्र. खण्डपीठ, इंदौर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03/05/2017 के संबंध में लाभांश (Dividend) भुगतान हेतु बैंक खाता विवरण और के. वाय. सी. प्रपत्र शासकीय समापक के कार्यालय में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये हैं।

नोट:-यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विज्ञापन के माध्यम से पूर्व श्रमिकों / लेनदारों के कोई भी नये दावे आमंत्रित नहीं किये जा रहें हैं, यदि शासकीय समापक, उच्चन्यायालय म.प्र. के कार्यालय में कोई नया दावा प्रस्तुत किया जाता है तो वह किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। (सीताराम एस. गुप्ता, आई.सी.एल.एस.)

शासकीय समापक

उच्चन्यायालय म.प्र.,

इन्दौर, खालियूर एवं जबलपुर

दिनांक 08.11.2017

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P. BENCH AT INDORE
ORIGINAL JURISDICTION
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956
AND
IN THE MATTER OF M/S.HUKUMCHAND MILLS LTD.
(IN-LIQUIDATION)
COMPANY PETITION NO.19/2001
NOTICE INVITING PROOF OF DOCUMENTS
OF THE EX-WORKERS OF THE COMPANY (IN-LIQN.)**

Notice is hereby given that, Hon'ble High Court of M.P., Bench at Indore vide order dated 03/05/2017 read with Hon'ble High Court order dated 26/10/2017 directed Official Liquidator to disburse interim Dividend among ex-workmen of the company (in-liqn.) whose claim have already been adjudicated and approved by Hon'ble High Court of M.P., Indore Bench and the same shall be payable immediately (by directly crediting the amount in to the bank accounts of the beneficiaries) on submission of banking account details and KYC details of the deserving ex-workmen/legal heirs of deceased ex-workmen at the office of The Official Liquidator, High Court of M.P., 1st Floor, OLD CIA Building, Opposite GPO, Residency Area, Indore. However, it is important to note that, this advertisement is specifically published for those ex-workmen/legal heirs of the deceased ex-workmen of the company (in-liqn.), who have not submitted their **banking account details and KYC details for payment of Interim Dividend amount** with the Office of The Official Liquidator, Indore till date, for payment of Dividend in terms of aforesaid order dated 03/05/2017 passed by Hon'ble High Court of M.P., Indore Bench.

It is hereby clarified that, no new claim of any ex-workmen/creditor has been invited by this notice, and if any new claim is submitted in the Office of The Official Liquidator, M.P., pursuant to this advertisement, the same shall not be entertained by the Official Liquidator, in any manner.

(SITARAM S. GUPTA, I.C.L.S.)

OFFICIAL LIQUIDATOR

HIGH COURT OF M.P.,

INDORE, GWALIOR & JABALPUR

Date : 08.11.2017